राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25 (45) परि/कम्प्यू./2012/45311 जयपुर,दिनांकः 21/3/14

## कार्यालय आदेश 08/2014

1. पूर्व मे जारी कार्यालय आदेश संख्या 3/2014 मे स्मार्ट कार्ड क्रियान्वयन के सम्बंध मे सामान्य दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या–3 के द्वारा वाहन पंजीयन के लिए अधिकृत वाहन विक्रेता द्वारा बेचे गये वाहनो के पंजीयन प्रमाण पत्र (स्मार्ट कार्ड) पर जिला परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर प्रिन्ट करना निर्धारित किया गया था। चूंकि डीलर को अधिकृत पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है, अतः यह निर्णय लिया जाता है कि इनके द्वारा बेचे गये वाहनो के पंजीयन प्रमाण पत्र पर डीलर के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ही प्रिन्ट किये जायेंगे। इस प्रक्रिया हेतु अधिकृत पंजीयन अधिकारी (डीलर) के उस व्यक्ति, जिसे विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के हेतु अधिकृत किया गया है, के हस्ताक्षर सॉफ्टवेयर मे दर्ज करवाने की कार्यवाही सम्बंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

2. कार्यालय आदेश संख्या 3/2014 के स्मार्ट कार्ड क्रियान्वयन के सम्बंध में सामान्य दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 4 को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत पंजीयन अधिकारी द्वारा परिवहन विभाग के कार्यालयो मे कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 के अनुरूप ही पंजीयन से सम्बंधित दस्तावेज यथावत् प्रस्तुत किये जायेगे।

3. अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप मे कार्यरत डीलर द्वारा उपलब्ध कराये गये सीडी अथवा पेन ड्राईव पर डेटा (सॉफ्ट कॉपी) का उपयोग कर सम्बंधित कार्यालय द्वारा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट किये जायेगे जिसके उपरान्त प्रिन्टेड स्मार्ट कार्ड को विभागीय अधिकारियो द्वारा पर्सनलाईज कर तैयार पंजीयन प्रमाण पत्र (स्मार्ट कार्ड) पुनः डीलर को वितरण करने हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4. परिवहन श्रेणी के स्मार्ट कार्ड पर 'Registration Validity' की गणना पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष प्रिन्ट की जानी है।

5. स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचित तिथि से पूर्व के सभी लम्बित प्रकरणों को स्मार्ट कार्ड शुल्क रूपये 200/– वसूल कर रसीद जारी करने के उपरान्त स्मार्ट कार्ड पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्मार्ट कार्ड सेवा प्रदाता के सभी कार्मिको द्वारा उनके स्वयं के लॉगिन आईडी से कार्य सम्पादित किया जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम मे सभी कार्यालयो से स्मार्ट कार्ड वेन्डर के कार्यरत कार्मिको की सूची सम्बंधित वेंडर/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अविलम्ब मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी जिसके आधार पर प्रत्येक कार्मिक का लॉगिन आई डी तैयार कर मुख्यायलय से उपलब्ध कराया जायेगा।

7. कार्यालय परिसर मे अनाधिकृत व्यक्तियो के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए निदेशित किया जाता है कि समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी अपने कार्यालय के समस्त स्टॉफ को फोटो युक्त आई. डी. कार्ड जारी करेंगे जिनको कार्यालय समय मे अधिकारियो/कर्मचारियो को पहनना अनिवार्य होगा। स्मार्ट कार्ड सेवा प्रदाता के कर्मचारियो को निर्धारित यूनिफॉर्म तथा आई.डी. कार्ड के बिना कार्यालय परिसर मे प्रवेश न दिया जाये। प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयो के कार्यालय अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि समय समय पर अपने कार्यालय का निरीक्षण कर उक्त व्यवस्था की जांच कर अनाधिकृत व्यक्तियो के प्रवेश को नियंत्रित करना सुनिश्चित करें।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25 (45) परि/कम्प्यू./2012/45312—318 जयपुर,दिनांकः 21/3/14

प्रतिलिपि :–

1. निजि सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ..................................................।
4. समस्त उपायुक्त (प्रवर्तन) ..................................................।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, ..............................।
6. एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को बेवसाईट पर अपडेट करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)